प्रेस विज्ञप्ति
31/05/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने पंजाब एंड सिंध बैंक के तत्कालीन अधिकारी बेदांशु शेखर मिश्रा, उनके सहयोगियों व गेमिंग प्लेटफॉर्म गोवा 2 47.लाइव (GOA247.LIVE) के प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच के संबंध में 29.05.2025 को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के परिणामस्वरूप, ईडी ने **39 लाख रुपये** की नकदी के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्य, कई मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेमिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सिम कार्ड आदि सहित विभिन्न अपराध-संकेती सामग्री जब्त की है। इसके अलावा, तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी ने गेमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जा रहे 48 म्यूल खातों में कुल **1.5 करोड़ रुपये** की राशि फ्रीज कर दी है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी, 1860, पीसी एक्ट, 1988 और आईटी एक्ट, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत बेदांशु शेखर मिश्रा व अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि बेदांशु शेखर मिश्रा ने पंजाब एंड सिंध बैंक, खालसा कॉलेज शाखा, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिकारी के पद पर रहते हुए कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए कई ग्राहकों के 46 सावधि जमा खातों को तोड़कर/समाप्त करके अनधिकृत लेनदेन करके धोखाधड़ी की है, जिनमें मुख्य रूप से एसजीटीबी खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम पर सावधि जमा खाते हैं। इस प्रकार, उन्होंने बैंक के साथ-साथ बैंक के कई खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी की और बैंक में जमा किए गए **52.99 करोड़ रुपये** के सार्वजनिक धन का गबन/दुर्विनियोजन किया।

जांच के दौरान पता चला है कि उसने अपराध से प्राप्त **24 करोड़ रुपये** (लगभग) की राशि को गोवा 2 47.लाइव (GOA247.LIVE) जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मालिकों द्वारा व्यवस्थित विभिन्न म्यूल खातों के माध्यम से आरोपी ने इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पीओसी ट्रांसफर किया था।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत बेदांशु शेखर मिश्रा व अन्य सहयोगियों की 2.56 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

आगे की जांच जारी है।